



2026:AHC:56416

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 6847 वर्ष 2026

गिरजा शंकर दुबे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	राम राज पांडेय, शुभम पांडेय
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम राज पांडेय और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. आवेदक द्वारा यह तत्काल आवेदन समन आदेश दिनांक 24.10.2025 के साथ-साथ विशेष सत्र परीक्षण संख्या 898 वर्ष 2025 (राज्य बनाम दया शंकर सिंह एवं अन्य) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 134 वर्ष 2012, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी और 34 आई.पी.सी., थाना बरसठी, जिला जौनपुर से संबंधित है और वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), विशेष न्यायालय संख्या-3, वाराणसी की न्यायालयत में लंबित है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तत्काल आवेदन पर केवल इस आधार पर जोर दिया जा रहा है कि मामले की जांच एक दशक से अधिक समय तक जारी रही और इसलिए आवेदक के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्राथमिकी वर्ष 2012 में दर्ज की गई थी और आरोप-पत्र वर्ष 2025 में दाखिल किया गया था, इसलिए जांच तेरह वर्षों से अधिक समय तक जारी रही और इस प्रकार आवेदक के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त केशव शुक्ला ने आवेदक द्वारा उठाए गए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उन्हीं आधारों पर उपरोक्त कार्यवाही को चुनौती देने के लिए धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदन संख्या 49343 वर्ष 2025 (केशव शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य) के तहत आवेदन दायर कर आवेदक द्वारा उठाए गए आधारों पर ही उपरोक्त कार्यवाही को चुनौती दी थी, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.2025 (अनुलग्नक संख्या 9) पारित किया, जिसके द्वारा पूरी कार्यवाही रद्द कर दी गई है और अतः आवेदक दिनांक 17.12.2025 के आदेश के समतुल्य निर्णय चाहता है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने हालांकि तत्काल आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का कड़ा विरोध किया, लेकिन वे आदेश दिनांक 17.12.2025 की समानता के संबंध में आवेदक की ओर से उठाए गए तर्क पर विवाद नहीं कर सके।

6. अभिलेखों का परिशीलन करने और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि इस न्यायालय की सह-पीठ ने सह-अभियुक्त के पक्ष में बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 49343/2025 (केशव शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य) में दिनांक 17.12.2025 को आदेश पारित किया था और उक्त आदेश नीचे उद्धृत है:

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम राज पांडेय और राज्य की ओर से विद्वान विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री विजय कुमार को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन आवेदक द्वारा सम्मन आदेश दिनांक 24.10.2025 के साथ-साथ विशेष सत्र परीक्षण संख्या 898/2025 (राज्य बनाम दया शंकर सिंह एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 134/2012, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी और 34 आई.पी.सी. एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), थाना बरसठी, जनपद जौनपुर से उत्पन्न हुआ है और जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), विशेष न्यायालय संख्या-3, वाराणसी की अदालत में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान आवेदन केवल इस

आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि मामले की विवेचना एक दशक से अधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समय तक जारी रही और इसलिए आवेदक के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले की एफ.आई.आर. वर्ष 2012 में दर्ज की गई थी और आरोप-पत्र वर्ष 2025 में दाखिल किया गया था, इसलिए विवेचना तेरह वर्षों से अधिक समय तक जारी रही और इस प्रकार आवेदक के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

5. उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि कानून अब तक पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि विवेचना में देरी पर भी तब विचार किया जाना चाहिए जब यह देखा जा रहा हो कि अभियुक्त के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पंकज कुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2008 (16) एस.सी.सी. 117 के निर्णय पर भरोसा जताया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु @ आर.एल. चोंगथु बनाम बिहार राज्य 2025 आई.एन.एस.सी. 1339 के मामले में भी यह टिप्पणी की है कि जहाँ विवेचना में देरी हुई है और अभियोजन पक्ष कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है, तो इस आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लंबित अभियोजन को निरस्त किया जा सकता है।

6. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि विवेचना 11 वर्षों से अधिक समय तक क्यों जारी रही।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर वर्ष 2006 में कुल 51 एफ.आई.आर. दर्ज की गई थीं, जिनमें वर्ष 2012 की वर्तमान एफ.आई.आर. भी शामिल है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित सार्वजनिक धन का गबन किया है और उन सभी मामलों में विवेचना एक दशक से अधिक समय तक जारी रही।

8. उन्होंने आगे कहा कि जब कुछ अभियुक्तों ने इस आधार पर अपनी कार्यवाही को निरस्त करने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की कि चूंकि विवेचना एक दशक से अधिक समय तक जारी रही, इसलिए उनके त्वरित विचारण के

मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तब इस न्यायालय ने उनके आवेदनों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(बी.एन.एस.एस. धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 21588/2025 - गिरीश पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; आवेदन संख्या 21594/2025 - श्रीमती मंगरी देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; और आवेदन संख्या 21595/2025 - राधे श्याम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में, विवेचना समाप्त करने में दस वर्ष से अधिक की देरी के तथ्य पर विचार करने के बाद, उनके विरुद्ध लंबित कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदनों में दर्ज की गई टिप्पणियां और निष्कर्ष वर्तमान मामले में समान रूप से लागू होते हैं।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसलिए उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, उपरोक्त मामले में आवेदक के विरुद्ध लंबित कार्यवाही भी निरस्त किए जाने योग्य है।

10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि वर्तमान मामले में विवेचना तेरह वर्षों से अधिक समय तक जारी रही और राज्य विवेचना में हुई देरी का स्पष्टीकरण नहीं दे सका। उन्होंने आगे इस तथ्य पर भी विवाद नहीं किया कि आवेदन संख्या बी.एन.एस.एस. धारा 528 के तहत संख्या 21588 वर्ष 2025 (गिरीश पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), आवेदन संख्या बी.एन.एस.एस. धारा 528 के तहत संख्या 21594 वर्ष 2025 (श्रीमती मंगरी देवी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) और आवेदन संख्या बी.एन.एस.एस. धारा 528 के तहत संख्या 21595 वर्ष 2025 (राधे श्याम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में की गई टिप्पणियां वर्तमान मामले में समान रूप से लागू होती हैं।

11. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का परिशीलन किया है।

12. आवेदक ने अपने विरुद्ध लंबित कार्यवाही को केवल इस आधार पर चुनौती दी है कि वर्तमान मामले में एफ.आई.आर. वर्ष 2012 में दर्ज की गई थी, लेकिन विवेचना बारह वर्षों से अधिक समय तक जारी रही और आरोप-पत्र वर्ष 2025 में दाखिल किया गया है, इसलिए उसके त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का

उल्लंघन हुआ है। कानून स्थापित है कि त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है। (देखें: अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक 1992 क्रि. लॉ ज. 2717)।

13. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एस.सी.सी. 578 के मामले में भी अब्दुल रहमान अंतुले मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को मंजूरी दी और यह टिप्पणी की कि त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

14. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने पंकज कुमार (उपरोक्त) के मामले में यह माना कि त्वरित विचारण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार न केवल न्यायालय की वास्तविक कार्यवाही पर लागू होता है, बल्कि इसमें उससे पहले की पुलिस विवेचना भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी माना कि त्वरित विचारण का अधिकार सभी आपराधिक अभियोजनों पर समान रूप से लागू होता है और यह किसी विशेष श्रेणी के मामलों तक सीमित नहीं है।

15. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु @ आर.एल. चोंगथु (उपरोक्त) के मामले में भी यह माना कि यदि त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और विवेचना में देरी होती है, तो अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की कि इस संबंध में राज्य से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, हालांकि राज्य से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन राज्य विवेचना में देरी पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह संकेत दे कि आवेदक विवेचना में देरी के लिए जिम्मेदार था।

16. इसके अलावा, हालांकि वर्तमान मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रामानंद चौधरी बनाम बिहार

राज्य एवं अन्य ए.आई.आर 1994 एस.सी. 948 के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि मंजूरी देने में 13 साल की देरी हुई थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र लाल दास बनाम बिहार राज्य 2002 (1) एस.सी.सी. 149 के मामले में भी विवेचना में देरी के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामले में अभियुक्त के विरुद्ध लंबित कार्यवाही को निरस्त कर दिया था।

17. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने हुसैनारा खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 एस.सी.सी. 81 के अपने प्रसिद्ध निर्णय में यह भी टिप्पणी की थी कि त्वरित विचारण का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है।

18. वर्तमान मामले में, चूंकि अभियोजन की विवेचना एक दशक से अधिक समय तक जारी रही, इसलिए विवेचना समाप्त करने में अत्यधिक देरी हुई है और अभियोजन पक्ष विवेचना में देरी को स्पष्ट करने में विफल रहा है, और यहाँ तक कि देरी के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अतः यह दर्शाता है कि आवेदक के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

19. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य और व्यापक आरोपों के आधार पर वर्ष 2006 में कुल 51 एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें वर्तमान मामले की एफआईआर भी शामिल है। इन सभी मामलों में जांच एक दशक से अधिक समय तक चली। जब इन मामलों के कुछ आरोपियों ने धारा 528 बीएनएसएस के तहत तीन अलग-अलग आवेदन दायर करके (आवेदनों का विवरण पैरा-9 में दिया गया है) कार्यवाही रद्द करने की अपील की, तो इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए उनकी कार्यवाही रद्द कर दी कि चूंकि जांच एक दशक से अधिक समय तक चली, इसलिए उनके शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां वर्तमान मामले पर भी समान रूप से लागू होती हैं।

20. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में चूंकि वर्तमान मामले में विवेचना समाप्त करने में 13 वर्षों से अधिक की देरी हुई है और राज्य विवेचना में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका, इसलिए आवेदक के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इसलिए उसके विरुद्ध लंबित कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

21. तदनुसार, उपरोक्त मामले में आवेदक के विरुद्ध लंबित कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

22. वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।"

7. यह न्यायालय पाता है कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त **केशव शुक्ला (उपरोक्त)** के मामले के समान है और इस प्रकार आदेश दिनांक 17.12.2025 की समानता का लाभ आवेदक को दिया जा सकता है। आवेदन संख्या 49343 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के आलोक में, विशेष सत्र परीक्षण संख्या 898 वर्ष 2025 (राज्य बनाम दया शंकर सिंह एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 134 वर्ष 2012, धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120बी और 34 आई.पी.सी., थाना बरसठी, जिला जौनपुर में आवेदक के विरुद्ध लंबित कार्यवाही एतद्वारा रद्द की जाती है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

19 मार्च, 2026

शाश्वत